/font>

Title: Regarding problems being faced by the Haj Pilgrims.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Mr. Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity...(*Interruptions*) I have been trying to raise this issue...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri E. Ahamed, let me make it clear that there is no debate on this issue. You have promised that you would speak for two minutes on this issue. I am allowing one minute each to you and to the other hon. Member.

...(Interruptions)

श्री **रघनाथ झा (गोपालगंज) :** अध्यक्ष महोदय, ध्यानार्काण प्रस्ताव का क्या हआ?

अध्यक्ष महोदय : इस विाय पर चर्चा नहीं है। इन लोगों की एक मांग है। केवल वह सदन के सामने आएगी और यह पांच मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा।

Re: Problem being faced by Haj Pilgrims

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, the Government of India has decided to restrict and regulate the Haj travel subsidy for the Hajis who are going under the Central Haj Committee. This time there are about 72,000 Hajis who are going on Haj pilgrimage under the Central Haj Committee. Restriction and regulation of this Rs. 12,000 travel subsidy to Hajis has created a havoc amongst the Hajis. It is because when they applied for it, there was no restriction. Now, the Government wants every Haji to submit an affidavit counter-signed by the Notary Public. The Hajis are going on the 24th of this month. There is a shortage of time. It is impossible for the Haj Committee to collect all these affidavits counter-signed by the Notary Public. If the Hajis will not be able to go, then the Haj Committee will have to suffer a loss of nearly Rs. 25 crore because they have already made arrangements for accommodation and they have made travel plans and have also given a schedule to Air India and Saudi Airlines. This decision of the Government cannot be implemented under any circumstances.

Sir, therefore, the community largely objects to this and has asked the Government for reconsideration of the withdrawal of travel subsidy. It is because it is unjust, unfair and uncalled for. However, I would like to say that at least for the time being the Cabinet should take a decision to defer the matter for the next Haj because the next Haj is due to commence in February, 2005. Therefore, unless this is done, this would be a great injustice to the Hajis...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I am associating the names of all those hon. Members, who are standing, with this issue.

...(Interruptions)

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, it is a very serious matter...(*Interruptions*) If this decision is implemented, then tens and thousands of Hajis would not be able to go to perform Haj...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी का नाम ऐसोसिएट कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और लगता है कि यह हज यात्रियों को परेशान करने की साजिश है। जो लोग इस वा हज पर जाने वाले थे, उनके प्रार्थना पत्र 25 जुलाई तक आमंत्रित किए गए और सितम्बर के महीने में भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि जो लोग आयकर दाता हैं, उनको हज पर जाने के किराए में छूट नहीं दी जाएगी। हज करने वालों के लिए तमाम शर्तें लगाई गई। यह कितना अव्यावहारिक निर्णय है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का आयकर दाता व्यक्ति हज करने जाएगा तो उसकी उड़ान दिल्ली से होगी। उसकी बूढ़ी मां, उसकी पत्नी, उसके बूढ़े बाप, जो आयकर दाता नहीं हैं, उनको लखनऊ से जाना होगा। इसके बारे में न कोई हज कान्फ्रैंस हुई, न मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया।न किसी से बात हुई, बगैर लोगों को विश्वास में लिए, बगैर उनके जजबात को समझे सरकार ने यह निर्णय कर लिया है जो किसी भी कीमत पर न तो न्यायसंगत है और न व्यावहारिक है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार तत्काल इस निर्णय को वापस ले। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो निर्णय सरकार ने लिया है, यह हाजियों की भावनाओं के बिल्कुल प्रतिकूल है और इसकी हाउस में निन्दा की जानी चाहिए तथा सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए।…(व्यवधान)में एक बात और जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया ? सरकार को इस निर्णय को तुरंत वापस लेना चाहिए।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बंसल जी, आपको बोलने की इजाजत किसने दी है?

… (व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। यह निर्णय बिल्कुल अव्यावहारिक है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri M.O.H. Farook.

SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Sir, the Cabinet came out with certain instructions in September to be implemented in the Haj Committee.....(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : एक मैम्बर बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. रघवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने दिया जाए।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जरा बैठिए। फारुक जी को बोलने दीजिए। वह कई दिनों के बाद बोल रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

… (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Farook is speaking after a long time. Let him speak. He is a Member of the Haj Committee.

SHRI M.O.H. FAROOK: Sir, I am a Member of the Central Haj Committee appointed by you. In September, the Cabinet has come out with certain instructions regarding subsidy to be implemented in the Haj season. There are so many legal as well as religious restrictions over this issue. This has created a lot of problems for the Central Haj Committee to implement them.

Another point is, the Central Haj Committee is in no way consulted at any point of time when this restriction has been implemented.

I support all these people. Yesterday, the Minister for Civil Aviation has conducted a meeting and we have placed all our difficulties before him. He has assured that he would take them to the Cabinet. Our plea is that these restrictions should be postponed for the next year and we may go ahead in the same way as you have done earlier. The present Haj activities should continue according to the old plan. This is our plea…… (*Interruptions*) Application in this regard was given in July and this decision has come out in September. Therefore, this has created a problem.

MR. SPEAKER: Shri Rashid Alvi.

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको इससे एसोशिएट करता हूं। जो इंकम टैक्स पेयी के लिए कहा गया है कि उनको रिबेट नहीं मिलेगी। बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइन्स हैं जो सरकारी रिबेट के बाद टिकट देती है, दुनिया के अंदर बहुत सारी एयरलाइन्स हैं जिनको अगर चार्टर किया जाए तो ह वाईजहाज का जो टिकट है, वह उससे कम पर होगा। यह एक बहुत गलत फैसला है जिसे सरकार को फौरन वापस लेना चाहिए। इससे बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी।…(<u>व्यवधान</u>)कोई हस्बैंड इंकम टेक्स पे करता है और वाइफ पे नहीं करती तो वाइफ का जाना मुश्किल हो जाएगा और बगैर हस्बैंड के वाइफ हज को नहीं जा सकती।…(<u>व्यवधान</u>)इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि हज के मामले में फौरन कदम उठाने चाहिए। जो हाजी इस बार जा रहे हैं, उनके एफीडैविट जमा करने से मुस्तसना करना चाहिए और इस पर दुबारा गौर करके इंकम टैक्स की जो शर्त लगाई गई है, उसे विदड़ॉ करना चाहि।…(व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : हर बार क्या आप ऐसे ही करेंगे? … (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। हज यात्रियों को रिबेट देने के संबंध में जो निर्णय सरकार ने लिया है, उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इस निर्णय को फौरन वापस लेना चाहिए।…(व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : हम क्यों नहीं बोलेंगे ? क्या आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा? … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : इनकी भी सुनें, शायद ये आपका समर्थन कर रहे हों। इसलिए इनको सुनना चाहिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: आपकी सरकार ने हज के लिए जितनी सब्सिडी दी, उससे तीन गुना ज्यादा सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट ने कहा है कि हज के लिए सब्सिडी देना उचित नहीं है, गैर इस्लामिक है इसलिए कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए।… (<u>व्यवधान</u>) जबिक हम तीन गुना ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। कोई भी मुस्लिम देश सब्सिडी नहीं देता। यह गैर इस्लामिक है। जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, उसको भी सब्सिडी मिले, यह सवाल उठाना निहायत ही गलत तरीका है।… (<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदय : इस विाय पर कोई चर्चा या बहस नहीं हो सकती। आप सब लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस के जमाने में जितनी सब्सिडी मिलती थी, उससे तीन गुना ज्यादा हम दे रहे हैं और यह इसको राजनीतिक सवाल बना रहे हैं।

कोई आदमी इनकम टैक्स पे करता है, क्या उसको भी सब्सिडी दी जाएगी…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि. पासवान आप बैठिए। आपके बड़े भाई बैठे हैं और छोटा भाई खड़ा है।

… (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down for a minute.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Let me make it clear. Please sit down.

...(Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई भी मुस्लिम देश सब्सिडी नहीं देता, जबिक हम तीन गुना ज्यादा दे रहे हैं।…(<u>व्यवधान</u>)

MR. SPEAKER: There is an important Calling Attention notice. As an exception only I allowed this. Shri E. Ahamed has come and told me that this is a very important issue and that there is a time limit within which this issue is to be settled. I permitted three or four hon. Members to speak on this issue. But there cannot be a debate on this issue.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have disallowed all notices.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Hannan Mollah, please do not speak in this manner. You are a nice Member. Please sit down. I cannot permit you to speak. I am not going to permit you to speak.

...(Interruptions)

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): It is unfortunate. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: It may be unfortunate. I cannot help it. This is not the way in which you can address the Chair. You are a senior Member. You are supposed to understand this. Now, I have stopped discussion on this issue. A number of Members have expressed their feelings. I cannot permit every Member to speak.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: What do you mean thereby? This is not the disciplined behaviour in the House.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: There is a very important debate before me.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Dr. Vijay Kumar Malhotra expressed his views.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, you all made a request in this regard and I considered it.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: If you want me to go strictly according to the rules, I will go strictly according to the rules.

...(Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : ये क्यों जवाब दे रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। देखिए, अगर इस हाउस में डिसीप्लीन नहीं होगा तो मैं स्ट्रीक्टली रूल्स के मुताबिक चलूंगा। विाय महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने उसको यहां उठाने की इजाजत दी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सभी सदस्यों को बोलने की इजाजत दूं। Please try to understand this.

...(Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, this House has seen that this is an emotional issue also. ...(Interruptions)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : शिवराज जी, यह कोई तरीका है ! … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Let me argue. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have permitted Shri Shivraj Patil to speak.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I will take on record only what Shri Shivraj Patil says. Please sit down.

(Interruptions) …*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the hon. Member from the Congress Party has made a very valid suggestion. He said that there are many issues involved in this, let them be carefully examined and then a decision be taken. That decision should be made applicable only after a careful examination of all issues involved. He has tried to say that if you apply the principle of excluding the income-tax payers, then also difficulties will arise because only Government

servants are paying income tax, others are not paying income tax. So, they will get this benefit. Those people who are paying small amount of income tax will not be able to make use of this facility.

Moreover, this Government, our country, has taken into consideration the religious feelings of the people. That is why Rs.100 crore was given by the Government of India rightly for the Nasik *Kumbhamela*. So, we are considering all the aspects. My submission to the government is that this is an emotional issue. Let it be carefully examined. Let a decision be taken.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : कैलाश मानसरोवर के लिए सब्सिडी नहीं है, पाकिस्तान में गुरूद्वारों के लिए सब्सिडी नहीं है। इनको 175 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद भी सवाल उठा रहे हैं।…(<u>व्यवधान</u>)

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोा कुमार गंगवार) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं से में संबंधित मंत्री जी को अवगत करा दुंगा।

…(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीप्र) : क्या आप हज के सवाल पर भी कॉलिंग अटेंशन देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आज इस विाय पर नहीं।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, earlier, you assured the House that you would take it up under Calling Attention....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am taking up Calling Attention.

श्री राम विलास पासवान : आपने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। कॉलिंग अटेंशन के लिए नोटिस देना पड़ता है। इस विाय पर कॉलिंग अटेंशन एडिमट करने को मैं तैयार हूं।

… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, मंत्री जी आ रहे हैं, राज्य सभा में गये हैं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉलिंग-अटेंशन लेता हं।

… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, आपका विाय महत्वपूर्ण होने की वजह से मैंने माननीय मंत्री जी को कहा है। मंत्री जी राज्य सभा में हैं। वहां से फ्री होने के बाद वे यहां आयेंगे। रघृवंश प्रसाद जी आप बोलिये।

… (व्यवधान)

^{*} Not Recorded

MR. SPEAKER: I am ready to accept it. There is no problem.

Now, the House will take up Calling Attention. Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद र्सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, बिहार की आठ करोड़ तीस लाख महान जनता की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं और बिहार की आठ करोड़ तीस लाख महान जनता आपकी आभारी है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। रघुवंश जी, आप नियम जानते हैं कि पहले आपको केवल विाय बताना है, बाद में जोरदार भााण देना है। पहले विाय बताइये। मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, तब बाद में आप तकरीर करेंगे।

डॉ. रघवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आर्थिक पैकेज की आवश्यकता के बारे में â€! (व्यवधान)

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, I am on a point of propriety....(Interruptions) Please listen to me for one minute.

अध्यक्ष महोदय : रघवंश प्रसाद जी, आप बैठ जाइये।

श्री प्रमुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : आपने रघुवंश जी को पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय : रूल के मुताबिक पाइंट ऑफ प्रोपराइटरी पहले आती है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठ जाइये।

SHRI G.M. BANATWALLA: Sir, Under Matters under Rule 377, I had made a submission in the House asking the Government to withdraw the conditions on *Haj* subsidy. Now, the Government has replied that it would consider the points raised in the House in the 'Zero Hour.' My point is that my submission made under Rule 377 should also be considered. The conditions on withdrawal of subsidy which are unjustified must be withdrawn. So, that is also to be considered along with the points that are made today. This submission has already been made in detail under Rule 377 by me earlier. ...(*Interruptions*)

SHRI E. AHAMED: Sir, kindly direct them to make a statement on this subject....(Interruptions)

MR. SPEAKER: That issue is over.
